1/4

[illegible] अधिकारी
गोंडा

पत्रांक 14-7
दिनांक 1.3.7

प्रेषक,

[illegible] अधिकारी,
गोंडा।

सेवा में,

अनुविभागीय पदाधिकारी,
[illegible]।

विषय: बाबा कृष्ण महाराज [illegible] [illegible] के संबंध में प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 142/[illegible] दिनांक 16.2.7 के प्रसंग में सूचित करना है कि पत्र के साथ प्रकाशक-सह विशेष [illegible] जिला [illegible] पार्षद का पत्र जो आपको प्रेषित है की छाया प्रति भेजा गया था। पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर [illegible] अंचल [illegible] कर्मचारी एवं [illegible] अंचल निरीक्षक [illegible] कर्मचारी [illegible] द्वारा। [illegible] कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है जो निम्न प्रकार है। जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाता है।

536
12.3.07

(5) श्री बाबा कृष्ण मंदिर में नाग-भोग-पूजा-पाठ अतिथि सेवा कार्य सुचारु किया जाता [illegible] किया करते हैं। किसी प्रकार का विरोध नहीं है। जमाबंदी खाता 513 रकबा 2.49.03 के जमाबंदीदार एवं भूमिधरी [illegible] श्री बाबा कृष्ण महाराज [illegible] के नाम से जमाबंदी चल रहा है जो निम्न प्रकार है

खाता	खसरा	रकबा	खाता	खसरा	रकबा
513 —	1668 —	.10	544 —	1561 —	.12
	1683 —	.01		1591 —	.16
	1684 —	.32		1594 —	.16
	1162 —	.15		1209 —	.25
	1170 —	.19		1239 —	.16
	1173 —	.24		1240 —	.17
	1172 —	.13		1241 —	.01
	1639 —	.09			1.23
	योग	1.26			

उक्त खाता खसरा रकबा की प्रति बाबा कृष्ण महाराज जी के नाम से चढ़ी चलते आ रही है।

लिपिकार [illegible]
अंचल अधिकारी
गोण्डा